(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 955–पीबीआर/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–6–2010 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 308/2009–10/निगरानी.

.....

प्रभू पुत्र श्री जगराम
निवासी सिरसुला तहसील भितरवार
जिला ग्वालियर म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–रामसेवक पुत्र गिल्लू राम मिर्धा
निवासी ग्राम सिरसुला तहसील भितरवार
जिला ग्वालियर म0प्र0
2–म.प्र.शासन

..... अनावेदकगण

.....

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक– आवेदक
श्री सी0एम0गुप्ता, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1
श्री डी0के0शुक्ला, पेनल अभिभाषक–अनावेदक कमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 1/6/2011 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–06–2010 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार भितरवार के समक्ष लाखनसिंह द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया कि ग्राम पंचायत सिरसुला के कोटवार उसके पिता थे और पिता की मृत्यु के उपरांत उसके बडे भाई रामसेवक को ग्राम का कोटवार नियुक्त किया गया है लेकिन वे ग्राम में निवास नहीं कर डबरा (म0प्र0) में निवास करते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, इसलिये उनके स्थान पर मुझे कोटवार नियुक्त किया जाये । तहसीलदार,

द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 30–9–06 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 को कोटवार पद से पृथक किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27–8–2007 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया । इसी बीच आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष कोटवार पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और तहसीलदार द्वारा दिनांक 18–8–2008 को आदेश पारित कर आवेदक की नियुक्ति कोटवार पद पर कर दी गई । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध पृथक पृथक दो अपीलें अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–6–2009 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 12–2–2009 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 14–6–2010 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर आदेश निरस्त करते हुये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पूर्व में निगरानी ग्राह्य कर अभिलेख की मॉग की गई थी, परन्तु बाद में बिना अभिलेख मंगाये आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश से मौके पर झगड़े की स्थिति निर्मित हो गई है और जनहानि होने की भी संभावना है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् आवेदक की कोटवार पद पर नियुक्ति की गई थी जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही किये जाने से अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय

अधिकारी का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई थी, परन्तु अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा न्याय की गंभीर भूल की गई है। उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया । तर्क के समर्थन में 1990 आरएन 95 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोटवार की नियुक्ति हेतु विधिवत् कार्यवाही करने हेतु प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया था और तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही प्रचलित रहने के दौरान आवेदक द्वारा बाला–बाला आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपनी नियुक्ति करा ली गई है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर पुनः कोटवार पद की नियुक्ति करने में विधिक कार्यवाही की गई है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अपर कलेक्टर द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही गई थी, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश न्यायिक एवं विधिसंगत होने से निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा पूर्व में अनावेदक कमांक 1 की नियुक्ति कोटवार पर पर की गई थी जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील्दार के आदेश को अवैधानिक पाते हुये निरस्त कर पुनः कोटवार की नियुक्ति हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था । इसी बीच तहसीलदार द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र पर उसे कोटवार नियुक्त कर दिया गया था जो कि पूर्णतः अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही थी, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनः तहसीलदार का आदेश निरस्त कर

प्रकरण विधिवत् कोटवार की नियुक्ति हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । चूँकि कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की गई थी इसलिये कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–06–2010 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर